

**आवेदन का प्रारूप**  
**सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु**  
**आवेदन-पत्र (अंतिम तिथि 16/04/2021)**

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

आवेदन शुल्क रुपये अनारक्षित-2000/- आरक्षित श्रेणी हेतु 1500/-का आनलाईन (NEFT/UPI, etc.) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एग.वाय.एच.केम्परा, इन्दौर के (Account No. 53003590071) (IFSC :- SBIN0030359) (M.G.M.Medical College, (Autonomous Society) Indore के नाम से जमा कर रसीद संलग्न करें। (डिग्रांड डाफ्ट रसीद नहीं होंगी))  
**आवेदित पद का नाम -** .....(आवेदक द्वारा स्पष्ट भरा जावे)

स्वप्रमाणित  
फोटो

1. आवेदक का नाम .....
2. पुरुष/महिला .....
3. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....  
 .....  
 शहर का नाम..... फोन नं.....  
 मोबाइल नं..... ईमेलआईडी.....
5. स्थाई पता.....  
 .....  
 शहर का नाम..... फोन नं.....  
 मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर .....
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें)01.04.2021 को आयु.....वर्ष....माह.....दिवस
8. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग / विकलांग / EWS  
 ..... (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें )
9. शैक्षणिक योग्यताएं:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)  
 प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के पद के अनुसार योग्यता अंकित करें

क्र	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्राप्तांक/प्रतिशत	प्रयास (Attempt)
1	MBBS First Prof.						
2	MBBS Second Prof.						
3	MBBS Final Part I						
4	MBBS Final Part II						
5	MD/MS						
6	DM/Mch/DNB as per T.E.Q.						

(प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक भरे)

10. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक .....  
 1 MBBS-----  
 2 MS/MD-----  
 3 Mch/DM/DNB. -----
11. राष्ट्रीय,अंतर्राष्ट्रीय, कान्फ्रेंस अटेंड/आयोजित करना  
 कान्फ्रेंस में साइंटिफिक सेशन चेर करना/पेपर प्रस्तुत करना/नेशनल एकेडमिक अवार्डस इत्यादि।  
 .....

नोट: प्रत्येक परीक्षा के प्रयास (Attempt) प्रमाण पत्र अधिष्ठाता द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करें।

12. शैक्षणिक अनुभव :-T.E.Q. के अनुसार

क्रमांक	पदनाम	पद पर कार्यभार ग्रहण का दिनांक	कुल शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक		
2	सह प्राध्यापक		
3	सहायक प्राध्यापक		

13. रिसर्च पब्लिकेशन :-"संलग्न प्रारूप एवं T.E.Q. के अनुसार

क्रमांक	पदनाम	रिसर्च पब्लिकेशन की संख्या एमसीआई नाम्स अनुसार
1	प्राध्यापक	
2	सह प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	

14. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करें)।

1 जन्मतिथि के लिये कक्षा 10 वीं की अंकसूची

2 एमबीबीएस फर्स्ट प्रोफ अंकसूची

3 एमबीबीएस सेकण्ड प्रोफ अंकसूची

4 एमबीबीएस थर्ड प्रोफ अंकसूची पार्ट-1

5 एमबीबीएस फाइनल प्रोफ अंकसूची पार्ट-2

7 एम.बी.बी.एस. डिग्री

8 एम.बी.बी.एस. प्रयास प्रमाण पत्र

9 एमएस डिग्री

10 एम.डी./एम.एस. प्रयास प्रमाण पत्र

11 एमसीएच/डीएम/डीएनबी

12 मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एम.बी.बी.एस)

13 मेडिकल काउंसिल का पंजीयन प्रमाण पत्र (एम.डी./एम.एस./डी.एम./एम.सी.एच./डी.एन.बी.)

14 रिसर्च पब्लिकेशन

15 जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित श्रेणी के लिये है)

16 स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)

17 आधार कार्ड

18 प्रशिक्षण/कांफ्रेस पुरस्कार प्रमाणपत्र

19 आवेदन शुल्क रुपये अनारक्षित-2000/- आरक्षित श्रेणी हेतु 1500/-की रसीद।

20. अर्हता टीईक्यू अनुसार रहेगी।

नोट:- पदों की आवश्यक शैक्षणिक व वॉछनीय अर्हताये संस्था की वेबसाईट ([www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in)) पर उपलब्ध रहेगी। संबंधित पद की अर्हताये आवेदक द्वारा सुनिश्चित कर आवेदन पत्र की पूर्ति करे।

स्थान.....

दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई जॉच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध मे किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय मे विचाराधीन है।
4. म.प्र. शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्धारित नियम मुझ पर पूर्णरूपेण बंधनकारी होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

अर्हता:-

स. क्र.	अनुसूची 1 का स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएं	अन्य अर्हताएं
1	1	प्राध्यापक	35 वर्ष	1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिकरण में शासी बोर्ड द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विनियामायली टी.ई.व्यू. (T.E.Q.) के अनुसार संबंधित विषय में अति विशेषज्ञताये (Super speciality) हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव के अनुसार।	स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताये।
2	2	सह प्राध्यापक	30 वर्ष	1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिकरण में शासी बोर्ड द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विनियामायली टी.ई.व्यू. (T.E.Q.) के अनुसार संबंधित विषय में अति विशेषज्ञताये (Super speciality) हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव के अनुसार।	स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताये।
3	3	सहायक प्राध्यापक	25 वर्ष	1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिकरण में शासी बोर्ड द्वारा चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विनियामायली टी.ई.व्यू. (T.E.Q.) के अनुसार संबंधित विषय में अति विशेषज्ञताये (Super speciality) हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव के अनुसार।	स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त अर्हताये।

टीप :-

1. अनुसूची के कॉलम 05 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा परिवर्तन किये जाने पर तदनुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी।
2. साधिकार शक्ति सगय-समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिये अतिरिक्त अथवा अन्य दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेंगी।



(डॉ. संजय दीक्षित)  
अधिष्ठाता  
म.गा.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,  
इन्दौर(म.प्र.)

नोट:-

- पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।
- भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर ([www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in)) पर उपलब्ध है।
- विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचीन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/पदोन्नति राहगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में माम नहीं कर सकेंगे।
- आयु की गणना दिनांक 01 अप्रैल 2021 को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।
- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- आरक्षण का लाभ राक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।
- चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- आवेदन शुल्क आवेदन के प्रारूप पर उल्लेख अनुसार अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन पत्र 'मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता म.गा. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर (ए.वी.रोड) के कार्यालय में दिनांक 16.04.2021 को शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम आवश्यक रूप से अंकित करें। देशी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही जमा किया गया शुल्क लौटाया नहीं जावेगा।

(डॉ. संजय दीक्षित)  
अधिष्ठाता

म.गा.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,  
इन्दौर(म.प्र.)

### निरस्तयि:-

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा - किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जाएगा।
- विवाह संबंधी जिस उम्मीदवार से न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। कोई भी ऐसी महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाए जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसके शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध उहाराया गया हो।
- ऐसे उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, को द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

### सेवा शर्तें:-

- 1 चिकित्सा शिक्षक के लिये निजी व्यवसाय (प्राइवेट प्रैक्टिस) पूर्णतः निषेध होगा।
- 2 वार्षिक वेतन वृद्धि 8 प्रतिशत नियमानुसार प्रतिवर्ष देय होगी।
- 3 निशुल्क आवास सुविधा प्रदाय की जाएगी। गृहभाड़ा भत्ता देय नहीं होगा।
- 4 एक मुश्त वेतन के अतिरिक्त कार्य आधारित निम्न पारिश्रमिक दिया जाएगा।  
(अ) चिकित्सा शिक्षक द्वारा की गई शल्य चिकित्सा तथा इन्टरवीन्शन उपचार/अनुसंधान से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत।  
(ब) चिकित्सा शिक्षक द्वारा Paid OPD में रखे गये मरीज से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत।
- 5 चिकित्सा शिक्षक को 5 वर्ष की सेवा देने के लिये बंधपत्र प्रस्तुत करना होगा। 5 वर्ष के पूर्व सेवा छोड़ने की दशा में उसे एक वर्ष का वेतन जमा कराना होगा।
- 6 साधिकार समिति चिकित्सा शिक्षक को नियमानुसार वेतन राशि देकर बिना किसी कारण बताए सेवाएं समाप्त कर सकेगी।
- 7 शैक्षणिक संवर्ग के लिये अवकाश आचरण एवं अधिवार्षिकी आयु के संबंध में मध्यप्रदेश सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चिकित्सा शिक्षक आदर्श सेवा नियम 2018 लागू होंगे। जिनका अचलोकन संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. की वेबसाइट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) पर किया जा सकता है।

### महत्वपूर्ण टीप:-

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी की वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताये और शर्तों को पूर्ण करते हैं। आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तें पूर्ण करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है।

(डॉ. संजय दीक्षित)  
अधिष्ठाता  
म.मा.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय,  
इन्दौर(म.प्र.)